

क्वालिटी मॉनिटरिंग टूल्स(QMT) 2023-24

दिशा-निर्देश

समग्र शिक्षा की वार्षिक कार्ययोजना एवं बजट 2023-24 में शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार के निर्देशन में गुणवत्ता को सुनिश्चित करने हेतु, विद्यालयों की शैक्षिक/सहशैक्षिक एवं अन्य गतिविधियों के संचालन की स्थिति के आकलन हेतु क्वालिटी मॉनिटरिंग टूल्स अन्तर्गत स्कूल मॉनिटरिंग प्रपत्र विद्यालय स्तर से पूर्ति करवाकर फीडबैक प्रदान करने हेतु गतिविधि अनुमोदित की गई है।

सत्र 2023-24 में इस गतिविधि को संचालित किये जाने हेतु क्वालिटी मॉनिटरिंग टूल्स (शाला दर्पण पर ऑनलाइन प्रपत्रों एवं समेकित रिपोर्ट्स) के माध्यम से विद्यालय, ब्लॉक, जिला एवं राज्य स्तर पर विद्यालयों की गुणवत्ता को समझने का प्रयास किया जाना है।

उद्देश्य-

1. विभिन्न स्तरों पर समीक्षा एवं योजना बैठकों के लिए पंचायत, ब्लॉक, जिला एवं राज्य वार आंकड़ें एवं सूचनाएँ उपलब्ध कराना
2. विद्यालयों में शिक्षण प्रक्रिया, बच्चों के अधिगम स्तर एवं योजनातर्गत अन्य गतिविधियों की गुणवत्ता की वस्तुस्थिति का आकलन करना
3. बच्चों के शैक्षिक स्तर के साथ-साथ विद्यालय के विभिन्न पक्षों की वस्तुस्थिति, वास्तविक स्थिति को समझना
4. वस्तुस्थिति के आधार पर विद्यालयों में गुणवत्ता सुधार हेतु कार्ययोजना बनाने के अवसर उपलब्ध कराना।

Signature valid

Digitally signed by T
Shubhamangala
Designation : State Project Director
Date: 2023.09.27 15:25:05 IST
Reason: Approved

विद्यालयों का चयन -

क्वालिटी मॉनिटरिंग टूल्स अन्तर्गत निम्नांकित विद्यालयों से सूचना एकत्र की जायेगी-

- राज्य के समस्त राजकीय प्राथमिक, उच्च प्राथमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालय। (शिक्षा विभाग, पंचायती राज, समाज कल्याण, टीएडी, संस्कृत माध्यम वाले राजकीय विद्यालय)
- कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय, स्वामी विवेकानन्द राजकीय मॉडल विद्यालय, आदर्श एवं उत्कृष्ट विद्यालय, पीएमश्री विद्यालय, महात्मा गाँधी अंग्रेजी माध्यम विद्यालय।

QMTअन्तर्गत मूल्यांकन की प्रक्रिया -

- सर्वप्रथम विद्यालय के संस्थाप्रधान द्वारा शाला दर्पण पोर्टल के विद्यालय लॉगिन के माध्यम से विकसित किया गया **School Monitoring Format** ऑनलाइन भरा जाना है। यह स्वआकलन प्रपत्र है।
- यह **School Monitoring Format** सत्र में 2 बार अर्द्धवार्षिक आधार पर भरा जाना है। (प्रथम छमाही- जनवरी से जून, द्वितीय छमाही- जुलाई से दिसम्बर)
- छमाही आधार पर भरी गई सूचनाओं के मूल्यांकन हेतु राज्य, जिला, ब्लॉक एवं पंचायत स्तर पर शाला दर्पण पोर्टल पर ऑनलाइन रिपोर्ट कार्ड विकसित किये जायेंगे। इन रिपोर्ट कार्ड के माध्यम से विभिन्न स्तर पर गतिविधियों की गुणवत्ता का आकलन, समीक्षा एवं आगामी कार्ययोजना का निर्माण किया जाना है।
- वार्षिक कार्ययोजना एवं बजट सत्र 2023-24 में इस गतिविधि हेतु प्रति विद्यालय 100 रुपये की राशि अनुमोदित की गई है। इस राशि का उपयोग छमाही आधार (प्रति छः माही 50 रुपये प्रति विद्यालय) पर पीईईओ स्तर पर आयोजित विद्यालयों की समीक्षा बैठक के आयोजन हेतु किया जाना है।
- विद्यालयों की सूचनाओं के आधार पर जिला एवं ब्लॉक स्तर पर उपलब्ध कराये गये रिपोर्ट कार्ड के माध्यम से न्यून प्रगति वाले विद्यालयों की पहचान कर प्रभावी मॉनिटरिंग एवं आगामी कार्ययोजना का निर्माण किया जाना है।

क्वालिटी मॉनिटरिंग टूल्स के रूप में उपयोग में लाये जाने वाले प्रपत्र -

- **स्कूल मॉनिटरिंग प्रपत्र (S.M.F)**-यह प्रपत्र विद्यालय स्तर से संस्था प्रधान द्वारा भरा जाना है। **परिशिष्ट 01** पर संलग्न इस प्रपत्र के माध्यम से निम्नांकित बिन्दुओं के अन्तर्गत सूचनाएं भरी जानी है।
 1. विद्यालय से सम्बन्धित सामान्य जानकारी।
 2. बच्चों का नामांकन, उपस्थिति, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की संख्यात्मक सूचना

Signature valid

Digitally signed by T
Shubhamangala
Designation : State Project Director
Date: 2023.09.27 15:25:05 IST
Reason: Approved

3. शिक्षण प्रक्रिया एवं बुनियादी साक्षरता एवं संख्या ज्ञान की मॉनिटरिंग
4. सतत एवं व्यापक मूल्यांकन सम्बन्धित गतिविधियां
5. पुस्तकालय का उपयोग।
6. शिक्षक प्रशिक्षण।
7. शाला स्वास्थ्य कार्यक्रम।
8. विद्यालय प्रबंधन समिति से सम्बन्धित गतिविधियां।
9. व्यापक करियर शिक्षा कार्यक्रम।
10. विद्यालय का समेकित मूल्यांकन।
11. विद्यालय को अधिक उन्नत बनाने हेतु सुझाव।

स्कूल मॉनिटरिंग प्रपत्र नियत तिथि तक संस्था प्रधान द्वारा ऑनलाइन भरा जायेगा तथा स्कूल मॉनिटरिंग प्रपत्र की सूचनाओं को एसएमसी/एसडीएमसी एवं अभिभावकों के साथ साझा किया जायेगा। स्कूल मॉनिटरिंग प्रपत्र की सूचना के आधार पर विद्यालय प्रशासन विद्यालय की गुणवत्ता बढ़ाने हेतु अपने स्तर पर कार्य योजना बनाएँगे।

क्वालिटी मॉनिटरिंग टूल्स (प्रपत्र) भरने एवं आकलन की तिथियाँ

प्रपत्र	आधार तिथि	डाटा अपलोड		आकलन	
		संस्थाप्रधान द्वारा	पंचायत स्तर पर	ब्लॉक स्तर पर	जिला स्तर पर
प्रथम	जनवरी से जून 2023	सितम्बर 2023	अक्टूबर 2023	अक्टूबर 2023	अक्टूबर 2023
द्वितीय	जुलाई से दिसम्बर 2023	जनवरी 2024	जनवरी 2024	फरवरी 2024	फरवरी 2024

विभिन्न स्तर के अधिकारियों हेतु दिशा -निर्देश :-

1. विद्यालय स्तर -संस्थाप्रधान हेतु

1. संस्था प्रधान से अपेक्षा है कि स्कूल मॉनिटरिंग प्रपत्र के समस्त बिन्दुओं को भलीभांति समझ लें। आवश्यकता होने पर ब्लॉक स्तरीय अधिकारियों से भी इस संदर्भ में जानकारी प्राप्त की जा सकती है।

Signature valid

Digitally signed by T
Shubhamangala
Designation : State Project Director
Date: 2023.09.27 15:25:05 IST
Reason: Approved

2. स्कूल मॉनिटरिंग प्रपत्र के प्रत्येक बिन्दु को आवश्यक रूप से भरा जावे। ऑनलाइन फीडिंग करते समय स्वयं संस्था प्रधान ऑनलाइन प्रक्रिया के दौरान उपस्थित रहें।
3. शिक्षकों एवं एसएमसी/एसडीएमसी सदस्यों को बैठक के दौरान क्वालिटी मॉनिटरिंग टूल्स की मूल भावना व उद्देश्य से अवगत करावें।
4. नियत तिथि से पूर्व प्रपत्र भरकर शिक्षकों/S.M.C/S.D.M.C सदस्यों के साथ शेयर किया जावे।
5. नियत तिथि तक प्रपत्र ऑनलाइन कराया जाना सुनिश्चित करावें।
6. शाला दर्पण पोर्टल पर विद्यालय लॉगिन पर उपलब्ध कराया गया रिपोर्ट कार्ड का विश्लेषण कर शिक्षकों के साथ मिलकर आगामी कार्य योजना बनावें ताकि गुणवत्ता को सुनिश्चित किया जा सके।
7. विद्यालय की आवश्यकताओं का अंकन करते समय उपलब्ध मानवीय एवं भौतिक संसाधनों के उपयोग को भी ध्यान में रखा जावे।

2. शिक्षकों हेतु -

1. संस्था प्रधान को सम्बन्धित समस्त सूचनाएँ उपलब्ध करवाना।
2. सम्बन्धित सूचनाओं के लिए शिक्षक भी स्वयं जिम्मेदार होंगे। अतः सूचना उपलब्ध करवाने में सावधानी बरती जावे।
3. समीक्षा के बाद गुणवत्ता स्तर को उत्तरोत्तर बढ़ाने हेतु कार्य योजना बनाना एवं कार्य योजना की प्रति संस्था प्रधान को अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराना। तदनुसार समय पर कार्य सम्पादित करना।
4. विद्यार्थियों को विशिष्ट उपलब्धियों प्राप्त करने हेतु निरन्तर प्रेरित करना।
5. विभागीय नियमानुसार/निर्देशानुसार निर्धारित अवधि में बच्चों का अधिगम संकेतकों के आधार पर मूल्यांकन कर शैक्षिक स्थिति से संस्थाप्रधान को अवगत कराना।

3. पंचायत स्तरीय अधिकारियों हेतु :-

1. पंचायत स्तर पर पंचायत प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी दिशा-निर्देशों की एक प्रति समस्त विद्यालयों को उपलब्ध करावें एवं क्वालिटी मॉनिटरिंग टूल्स की समझ समस्त संस्थाप्रधानों व शिक्षकों को को हो, यह सुनिश्चित करें।
2. निर्धारित तिथियों तक क्वालिटी मॉनिटरिंग टूल्स विद्यालय स्तर से भरवाकर ऑनलाइन करवाया जाना सुनिश्चित किया जावे।

Signature valid

Digitally signed by T
Shubhamangala
Designation : State Project Director
Date: 2023.09.27 15:25:05 IST
Reason: Approved

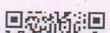
3. पीईईओ/यूसीईईओ के अधीनस्थ विद्यालयों के स्कूल मॉनिटरिंग प्रपत्र के समेकन के आधार पर शाला दर्पण पोर्टल पर उपलब्ध कराये गये रिपोर्ट कार्ड का अध्ययन करें एवं परिषद् द्वारा अनुमोदित बजट का उपयोग करते हुए छमाही आधार पर मूल्यांकन करें।
4. न्यून उपलब्धि वाले विद्यालयों को सम्बलन प्रदान करने एवं गहन मॉनिटरिंग करने हेतु कार्य योजना बनायी जावे।
5. न्यून उपलब्धि वाले विद्यालयों को अलग से चिह्नित करते हुए विशिष्ट कार्य योजना बनाई जा सकती है। इस हेतु कार्य योजना का अनुमोदन ब्लॉक स्तर से करवाकर ऐसे विद्यालयों को अकादमिक एवं प्रशासनिक सहयोग दिया जाना अपेक्षित है।
6. प्रत्येक चरण के स्कूल मॉनिटरिंग प्रपत्र को भरने के पश्चात पिछली शैक्षिक स्थिति के साथ तुलनात्मक समीक्षा की जावे। समीक्षात्मक प्रतिवेदन ब्लॉक स्तर को भिजवाया जाना सुनिश्चित करें।
7. बच्चों की शैक्षिक स्थिति एवं अन्य सूचनाओं का शाला संबलन कार्यक्रम अन्तर्गत अवलोकनकर्ता अधिकारी द्वारा भरी गई सूचनाओं का स्कूल मॉनिटरिंग प्रपत्र की सूचना से मिलान किया जाये। सूचनाओं में 5 प्रतिशत से अधिक का अन्तर होने पर उन विद्यालयों के संस्था प्रधानों को कारण बताओ नोटिस जारी किया जावे।
8. कारण बताओ नोटिस के जवाब संतोषप्रद नहीं होने की स्थिति में उन विद्यालयों के संस्था प्रधानों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही के प्रस्ताव तैयार किये जावें।

4. ब्लॉक स्तरीय अधिकारियों हेतु :-

1. ब्लॉक स्तर पर मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी दिशा-निर्देशों की एक प्रति समस्त अधिकारियों को उपलब्ध करावें एवं क्वालिटी मॉनिटरिंग टूल्स की समझ सभी अधिकारियों को हो यह सुनिश्चित करें।
2. समस्त संस्था प्रधानों की इस सम्बन्ध में सुस्पष्ट समझ बनाने हेतु नोडल संस्था प्रधान की बैठकों, आदर्श विद्यालय संस्था प्रधान स्तर पर आयोजित मासिक समीक्षा बैठकों में एवं अन्य विषय आधारित समीक्षा बैठकों में स्कूल मॉनिटरिंग प्रपत्र एवं क्यूएमटी दिशा-निर्देशों पर विस्तृत चर्चा की जावे।
3. निर्धारित तिथियों तक क्वालिटी मॉनिटरिंग टूल्स विद्यालय स्तर से भरवाकर ऑनलाइन करवाया जाना सुनिश्चित किया जावे।
4. क्वालिटी मॉनिटरिंग टूल्स से प्राप्त सूचना के आधार पर पंचायत स्तरीय रिपोर्ट कार्ड के माध्यम से पीईईओ/यूसीईईओ के निर्देशन में छमाही आधार पर मूल्यांकन बैठक निर्धारित अवधि तक किया जाना सुनिश्चित करें।

Signature valid

Digitally signed by T
Shubhamangala
Designation : State Project Director
Date: 2023.09.27 15:25:05 IST
Reason: Approved



5. शाला दर्पण पोर्टल पर उपलब्ध कराये गये ब्लॉक स्तरीय रिपोर्ट कार्ड के आधार पर न्यून उपलब्धि वाले विद्यालयों को सम्बलन प्रदान करने एवं गहन मॉनिटरिंग करने हेतु कार्य योजना बनायी जावे।
6. न्यून उपलब्धि वाले विद्यालयों एवं पंचायतों को अलग से चिन्हित करते हुए विशिष्ट कार्य योजना बनाई जा सकती है। इस हेतु कार्य योजना का अनुमोदन जिलास्तर से करवाकर ऐसे विद्यालयों को अकादमिक एवं प्रशासनिक सहयोग दिया जाना अपेक्षित है।

5. जिला स्तरीय अधिकारियों हेतु -

1. जिला स्तरीय अधिकारियों को भी क्वालिटी मॉनिटरिंग टूल्स से सम्बन्धित समस्त जानकारी सुस्पष्ट हो, इस हेतु जिला स्तरीय समीक्षा बैठक में अनिवार्य रूप से इस विषय पर गहन विचार विमर्श किया जाये।
2. ब्लॉक स्तरीय समीक्षा बैठकों में जिला स्तरीय अधिकारी अनिवार्य रूप से उपस्थित हो ताकि क्यूएमटी से सम्बन्धित किसी प्रकार के प्रश्नों का जवाब संस्थाप्रधान/ब्लॉक स्तरीय अधिकारियों का दिया जा सके।
3. Q.M.T से प्राप्त सूचनाओं के आधार पर शाला दर्पण पोर्टल पर जिला लॉगिन में उपलब्ध कराये गये जिला स्तरीय रिपोर्ट कार्ड अनुसार न्यून उपलब्धि वाले ब्लॉक, पंचायत एवं विद्यालयों के लिए जिला स्तरीय कार्य योजना बनाई जावे। कार्य योजना अनुसार जिला अधिकारी विद्यालयों, शिक्षकों, संस्था प्रधानों, पंचायत एवं ब्लॉक स्तर को सम्बलन प्रदान करें। साथ ही मॉनिटरिंग को भी प्रभावी बनाया जावे।
4. जिला स्तर पर उच्चतम उपलब्धि वाले विद्यालयों को चिन्हित करते हुए उन्हें प्रोत्साहित करने की भी योजना बनायी जावे।

विशेष-

- QMT अन्तर्गत विकसित किए गए स्कूल मॉनिटरिंग प्रपत्र को ऑनलाइन प्रविष्ट करने एवं प्रविष्टि उपरान्त ऑनलाइन रिपोर्ट के माध्यम से विश्लेषण करने हेतु सहायक सामग्री के रूप में परिषद् द्वारा वीडियो विकसित कर पृथक से साझा किया जायेगा।
- जिस मद के लिए राशि उपलब्ध कराई जाये, व्यय उसी मद में ही किया जावे।
- व्यय राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र निर्धारित प्रपत्र में भिजवाया जाना सुनिश्चित करें।
- कार्यक्रम अन्तर्गत व्यय राशि को PRABANDH Portal (<https://samagrashiksha.in>) पर तत्काल बुक कराया जाना सुनिश्चित करेंगे।
- राशि का उपयोग योजना के दिशानिर्देश, शिक्षा मंत्रालय की गाईड लाईन एवं लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम 2012 एवं नियम 2013 एवं वित्तीय नियमों की पूर्ण पालना करते हुये विहित प्रक्रियानुसार किया जाना सुनिश्चित किया जावे।

Signature valid

Digitally signed by T
Shubhamangala
Designation : State Project Director
Date: 2023.09.27 15:25:05 IST
Reason: Approved

- उक्त गतिविधि वार्षिक कार्ययोजना एवं बजट सत्र 2023-24 में निम्न मद में अनुमोदित की गई है-

➤ Quality Interventions

- Funds for Quality (LEP, Innovation, Guidance etc)
- 77.0 Project - Innovative Activities - (Recurring) (State Specific) (Secondary & Sr. Secondary)
- 77.0.604 Quality Monitoring Tools (QMT)

(डॉ. टी. शुभमंगला)

राज्य परियोजना निदेशक एवं

आयुक्त

क्रमांक:-रा.स्कू.शि.प./जय/गुणवत्ता/QMT/2023-24/5667 दिनांक 5/10/2023

प्रतिलिपि: निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है

1. निजी सचिव, शासन सचिव, स्कूल शिक्षा एवं भाषा विभाग, राजस्थान सरकार।
2. निजी सचिव, राज्य परियोजना निदेशक एवं आयुक्त, राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद, जयपुर।
3. निजी सचिव, निदेशक, माध्यमिक/प्रारम्भिक शिक्षा, राजस्थान बीकानेर।
4. निजी सचिव, निदेशक, संस्कृत शिक्षा विभाग, राजस्थान, जयपुर।
5. निजी सहायक, निदेशक, आरएससीआईआरटी, उदयपुर।
6. निजी सहायक, अति. राज्य परियोजना निदेशक-प्रथम राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद, जयपुर।
7. उपायुक्त शाला दर्पण, रास्कूलशिप, जयपुर।
8. वरिष्ठ तकनीकी निदेशक, एनआईसी, शिक्षा संकुल, जयपुर।
9. जिला प्रभोरी अधिकारी, समस्त जिले राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद, जयपुर।
10. मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी एवं पदेन जिला परियोजना समन्वयक, समग्र शिक्षा, समस्त जिले।
11. अतिरिक्त जिला परियोजना समन्वयक, समग्र शिक्षा, समस्त जिले।
12. प्राचार्य, डाइट समस्त जिले।
13. प्रोग्रामर, राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद को भेजकर लेख है कि QMT पोर्टल की गाइडलाइन शाला दर्पण एवं समग्र शिक्षा पोर्टल पर अपलोड किया जाना सुनिश्चित करें।
14. मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी संबंधित ब्लॉक।
15. समस्त पीईईओ/यूसीईईओ।
16. रक्षित पत्रावली।

Signature valid

Digitally signed by T
Shubhamangala
Designation : State Project Director
Date: 2023.09.27 15:25:05 IST
Reason: Approved